आवंटन

प्रेषक,

निदेशक, पंचायती राज,
उत्तर प्रदेश।

आयोजनागत–अनुदान सं0–14
तेरह अंको का कोड–2515001010300

सेवा मे,

जिला पंचायत राज अधिकारी/आहरण वितरण अधिकारी,
हापुड़, शामली तथा सम्भल।

संख्या 1/25/29/2016–1/04/2016 : लखनऊः दिनांक 03 मई 2016 ~~अप्रैल, 2016~~

विषयः–चालू वित्तीय वर्ष 2016–17 में जिला पंचायत प्रशासन के अधिष्ठान मद में व्यय हेतु अनुदान संख्या–14 के अधीन लेखाशीर्षक–2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–आयोजनागत–101 –पंचायती राज–03–जिला पंचायत प्रशासन के अन्तर्गत व्यय हेतु धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपयुर्क्त विषयक उप सचिव, पंचायती राज, उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या–1004/ 33–3–2016–100(8)/2016, दिनांक 12 अप्रैल, 2016 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016–17 में नवसृजित जनपद हापुड़, शामली तथा सम्भल में जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय के स्थापना हेतु सृजित पदो के वेतनादि में व्यय हेतु धनराशि संलग्न तालिका के अनुसार प्रस्ताव **रु0 3239054/– (रु0 बत्तीस लाख उन्तालीस हजार चौव्वन मात्र)** की धनराशि निम्नलिखित शर्तो के अधीन आवंटित की जाती है:–

1– आवंटित की जा रही धनराशि के व्यय के संबंध में वित्त (आय–व्ययक), अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या–1/2016 बी–1–746/दस–2016–231/2016, दिनांक 22 मार्च, 2016 में उल्लिखित निर्देशों का कड़ाई से अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

2– व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल और फाइनेन्सियल हैण्ड बुक के नियमों तथा अन्य अस्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो तो उसमें व्यय करने से पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

3– जिला कार्यालयों को वित्तीय स्वीकृतियों के सापेक्ष एक मुश्त आहरण की अनुमति नहीं दी जायेगी। वित्तीय स्वीकृतियों में आवश्यकतानुसार धनराशि के कोषागार से आहरण की फेंजिग स्वीकृत आदेश में समावेश सुनिश्चित किया जायेगा। जो सामान्यतः 02 माह की आवश्यकता से अधिक नहीं होगी।

4– आवंटित की जा रही धनराशि का आवंटन (एलाटमेण्ट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है, जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो तो, उन मामलों में व्यय के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

5– विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत बजट में प्राविधानित धनराशि का आवंटन एवं आवंटित/वितरित धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या–बी–1–1195/दस–16/94 दिनांक 06 जून, 1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

6– व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। साथ–साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर–12 में दी गयी शर्तो की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्डस आफ फाइनेन्शियल प्रोपाइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

7– उपयुर्क्त पर होने वाला व्यय अनुदान संख्या–14 के अधीन लेखाशीर्षक 2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम– आयोजनागत–101–पंचायती राज–03–जिला पंचायत प्रशासन के अन्तर्गत सुसंगत मानक मदो के नामे डाला जायेगा।

8– नियमानुसार अनुमन्य धनराशि ही वेतन मद में आहरित की जाय। गलत तथा अधिक आहरण के लिये आहरण वितरण अधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होगें।

9– कोषागार से आहरित धनराशि का विवरण प्रत्येक माह निर्धारित प्रपत्र बी0एम0–4 में अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाये। बी0एम0–4 पर बने सभी कालम अवश्य भरे जाय तथा विवरण में कोषागार वाऊचर संख्या तथा दिनांक एवं धनराशि का उल्लेख अवश्य किया जाये।

10– यदि बी0एम0–4 में सूचना नही भेजी जाती है तो गबन आदि की कोई भी घटना होने पर संबंधित आहरण वितरण अधिकारी व्यक्तिगत रूप से सीधे जिम्मेदार होगें।

कृ0पृ0उ0

11– यदि किसी मद में धनराशि समर्पित की जानी है तो संबंधित कोषागार का प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराना आवश्यक होगा।

12– एक बार धनराशि समर्पित किये जाने के बाद नियमानुसार निदेशक की लिखित स्वीकृति के बिना उस धनराशि को कोषागार से आहरित न किया जाये। अतः यदि समर्पण के बाद बिना अनुमति के कोई धनराशि कोषागार से आहरित की जाती है तो उसके लिये आहरण वितरण अधिकारी के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही की जायेगी।

13– यह भी सुनिश्चित कर लिया जाये कि आहरित धनराशि के प्रत्येक बिल पर सही मुख्य, उप–मुख्य –लघु, विस्तृत लेखाशीर्षक अवश्य अंकित किया जाये ताकि महालेखाकार कार्यालय में सही बुकिंग में बाधा न हो तथा प्रत्येक बिल के ऊपर दाहिनी ओर लाल स्याही से आयोजनागत शब्द अवश्य अंकित किया जाये जिसके लिये रबर की मोहर अधिक श्रेयष्कर होगी।

14– आवंटित की जा रही धनराशि से एरियर का भुगतान कदापि न किया जाय।

15– संबंधित आहरण वितरण अधिकारी आवंटित धनराशि के व्यय का लेखा जोखा रखेंगें तथा व्यय की सूचना निम्नलिखित तिथि तक निदेशालय को निश्चित रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगें।

1– कोषागार से आहरित धनराशि की मासिक विवरण बी0एम0–4 पर तथा कोषागार द्वारा उपलब्ध कराया गया रिकेन्सिलियेशन स्टेटमेन्ट आगामी माह की 5 तारीख तक अनिवार्य रूप से लेखा एवं बजट अनुभाग–1 को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

2– प्रारम्भिक व्ययाधिक्य तथा बचत विवरण दिनांक 10–02–2017 तक अनिवार्य रूप से निदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

3– व्ययाधिक्य तथा बचत का अन्तिम विवरण दिनांक 15–02–2017 तक अनिवार्य रूप से निदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

4– वर्ष 2016–17 में समर्पण यदि कोई हो तो की सूचना दिनांक 20–02–2017 तक अनिवार्य रूप से निदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

प्रमाणित किया जाता है कि यह आवंटन निदेशालय के आवंटन रजिस्टर के पृष्ठ संख्या–152पर अंकित है।

संलग्नक उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(अनिल कुमार दमेले)
निदेशक,
पंचायती राज, उत्तर प्रदेश।

संख्याः 1/शा0/ 29 /1/2016 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1–प्रमुख सचिव, पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2–प्रमुख सचिव, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–2 उ0प्र0 शासन।
3–महालेखाकार सी0पी0 सी0–2 उ0प्र0 इलाहाबाद।
4–महालेखाकार लेखा एवं हकदारी प्रथम उ0प्र0इलाहाबाद।
5–वरिष्ठ उपमहालेखाकार/स्थानीय निकाय (लेखा परीक्षा एवं लेखा), चौथा तल, 15–ए, महर्षि दयानन्द मार्ग, सत्यनिष्ठा भवन, उ0प्र0 इलाहाबाद।
6– मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, शामली, सम्भल तथा हापुड़।
7–एस0पी0एम0यू0, पंचायती राज निदेशालय, उ0प्र0 को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आवंटन विभाग की वेबसाईट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।

(केशव सिंह)
मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी,
पंचायती राज, उत्तर प्रदेश।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2016-2017
आवंटन दिनांक-03/05/2016

प्रेषण संख्या:- 1125/29/2016-11/04/2016
आवंटन आदेश संख्या:- 001-04-2016
अनुदान संख्या:- 14 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)(वित्तीय वर्ष 2016-2017 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2515 - अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम(आयोजनागत-मतदेय)

101 - पंचायती राज
03 - जिला पंचायत प्रशासन

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		01-वेतन	03-मंहगाई भत्ता	04-यात्रा व्यय	06-अन्य भत्ते	08-कार्यालय व्यय	09-विद्युत देय	10-जलकर / जल प्रभार	11-लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	17-किराया, उपशुल्क और कर-स्वामित्व	योग
1	हापुर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	359774 359774	449717 449717	3000 3000	35977 35977	20000 20000	3000 3000	3000 3000	6000 6000	3000 3000	883468 883468
2	शामली-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	259700 259700	324625 324625	3000 3000	25970 25970	20000 20000	3000 3000	3000 3000	6000 6000	3000 3000	648295 648295
3	सम्बल-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	709060 709060	886325 886325	4000 4000	70906 70906	20000 20000	4000 4000	3000 3000	6000 6000	4000 4000	1707291 1707291
	योग	वर्तमान प्रगामी	1328534 1328534	1660667 1660667	10000 10000	132853 132853	60000 60000	10000 10000	9000 9000	18000 18000	10000 10000	3239054 3239054

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया बत्तीस लाख उनचालीस हजार चौवन
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया बत्तीस लाख उनचालीस हजार चौवन

(केशव सिंह)
मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी